

## प्रैस नोट

नगरपरिषद्, चरखी दादरी की ड्राफ्ट मतदाता सूची के अंतर्गत दावे/आपत्ति लेने की सीमा समाप्त – नगरपरिषद्, चरखी दादरी।

दिनांक :- राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, पंचकुला द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक SEC/2ME/2021/662 दिनांक 15.03.2021 की पालना में नगरपरिषद्, चरखी दादरी की ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 16.04.2021 को होने उपरान्त दादरी शहर में स्थित आमजन से दिनांक 26.04.2021 को सांय 3.00 बजे तक दावे/आपत्तियां प्राप्त की गई है तथा उनको वार्ड अनुसार सुनवाई की तिथि बारे सूचित भी किया गया है। अब जिन व्यक्तियों द्वारा दावे/ आपत्तियां दर्ज करवाई गई है, उनकी सुनवाई रिवाइजिंग अथोरटी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), चरखी दादरी कार्यालय में दिनांक 28.04.2021 से दिनांक 07.05.2021 तक निम्न विवरण अनुसार प्रातः 11.00 बजे होनी है। जिस भी व्यक्ति द्वारा दावा/आपत्ति लगाई गई है, वह सुनवाई की तिथि वार्ड अनुसार रिवाइजिंग अथोरटी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), चरखी दादरी कार्यालय में प्रातः 11.00 बजे अपनी सुनवाई की तिथि पर पहुंचना सुनिश्चित करें। म्याद तिथि गुजरने उपरान्त दावा/आपत्ति को खारिज कर दिया जायेगा। दावे/आपत्ति की सुनवाई निम्न प्रकार से होगी :-

तिथि 28.04.2021	वार्ड न0 1 से 3	तिथि 04.05.2021	वार्ड न0 13 से 15
तिथि 29.04.2021	वार्ड न0 4 से 6	तिथि 05.05.2021	वार्ड न0 16 से 18
तिथि 30.04.2021	वार्ड न0 7 से 9	तिथि 06.05.2021	वार्ड न0 19 से 21
तिथि 03.05.2021	वार्ड न0 10 से 12	तिथि 07.05.2021	बचे हुये दावे/आपत्ति यदि कोई